न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –07/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. रमनलाल पुत्र प्यारेलाल
2. मनोज कुमार
3. परशुराम

पुत्रान गंगासहाय जाति ब्राह्मण निवासी मुखैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आवंटन आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.88 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर ।

उपस्थित :
1. पैरोकार सरकार
2. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी0

दिनांक : 06.05.2025

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) वैर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 258 व 300 आराजी खसरा न0 524 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर जिला भरतपुर विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये व जबाब प्रस्तुत किया संलग्न पत्रावली है।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) वैर के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर में गै0मु0पोखर दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित भूमियों की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को आवंटन किया जाना एवं अधिकार अभिलेख में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गैरखातेदार/खातेदार दर्ज किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर का आवंटन दिनांक 10.11.1975 अप्रार्थीगण के हक में किया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण सं0 258 से गैरखातेदार दर्ज किया गया है तथा नामान्तकरण संख्या 300 से खातेदारी दी गई है जो अवैध एवं निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार नियम 4 राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का आवंटन नही किया जा सकता है इसलिए आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। जब अप्रार्थी को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज गैरखातेदार तत्पश्चात खातेदार अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये आवंटन एवं इन्द्राज गैरखातेदार/खातेदार विधि विरूद्ध माना गया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.88 है0 पर अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दिनांक 10.11.1975 को आंवटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन नही किया गया बल्कि उम्मेदीलाल बल्द जगनी को आराजी पर नामा0स0 258 से गैर खातेदार दर्ज हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को जरिये बयनामा दिनांक 28.01.1981 से अप्रार्थीगण के पिता गंगासहाय द्वारा ख0न0 425 रकबा 5.08 बीघा क्रय की गई थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नम्बर को प्रतिफल राशि देकर क्रय किया है और अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज है एवं अपने खातेदारी की आराजी में कुछ भाग में मकान आदि बनाकर सभी रिहायश कर रहे है। शेष रकबा कृषि भूमि के उपयोग में आ रही है। आवंटन नियमानुसार किया गया है तथा आंवटन को निरस्त करने के लिए मूल आवंटी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है तथा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य नही है। अन्त में प्रार्थना कि है कि आवंटन दिनांक 10.11.1975 को निरस्त नही किया जा सकता है क्योंकि अप्रार्थीगण के हित निहित तथा उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार तथा अभिभाषक अप्रार्थी के कथनो पर एवं बहस तर्को पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा न0 524 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर जमाबंदी संवत् 2014-2017 में खसरा नम्बर 524 रकबा 5.08 बीघा पोखर दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 258 के कॉलम न014-16 में जरिये एलोटमेन्ट कमेटी दिनांक 10.11.75 के अनुसार ख0न0 524 रकबा 5.08 बीघा पर उम्मेदी पुत्र जगनी कौम वैश्य सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है तथा नामान्तकरण संख्या 300 से गैर खातेदार से खातेदारी के इन्द्राज दर्ज रिकार्ड किये गया है एवं नामान्तकरण संख्या 314 जरिये वयनामा से उम्मेदीलाल पुत्र जगनी कौम वैश्य सा0देह खातेदार के स्थान पर गंगासहाय, रमनलाल पिसरान प्यारेलाल कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है। वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को आंवटन/गैरखातेदार दर्ज किया जाना वर्जित रहता है। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिससे गैर मुमकिन पोखर सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये आवंटन को विधिसम्मत माना जा सके। जब अप्रार्थी को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्राबधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज गैरखातेदार तत्पश्चात खातेदार एवं वयनामा अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। इसके अतिरिक्त जनहित रिट याचिका 1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किये गये आवंटन/नियमन को विरूद्ध मानते हुये। भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सूचित किया जाना उचित पाते है।

अतः आज्ञा है कि:–

प्रार्थना पत्र (रैफरेन्स) प्रार्थी (तहसीलदार वैर) स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा न0 524 रकवा 0.88 है0 वाके ग्राम मुखैना तहसील वैर का किया गया आवंटन दिनांक 10.11.1975 बहक अप्रार्थी निरस्त किया जावे और आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 258 गैरखातेदार तत्पश्चात खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 300 के इन्द्राज खातेदार अप्रार्थी निरस्त किया जाकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर मकबूजा राज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को प्रेषित की जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दिनांक 29.05.2026 उपस्थित हो। यह पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

आज्ञा सुनाई गयी ।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर